

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर


क्रमांक: प.8(ड)(02)रा.ग./डीएलबी/20/2 0066

दिनांक: 31/7/20

आदेश

नगर परिषद बालोतरा की मण्डल बैठक दिनांक 20.01.2020 में प्रस्ताव संख्या 1 में नगर परिषद बालोतरा में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 55(1) एवं (3) में वर्णित समितियों के गठन के संबंध में जारी बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक 14224 14280 दिनांक 27.01.2020 तथा समिति गठन के संबंध में जारी संशोधित आदेश क्रमांक 14 73 दिनांक 04.02.2020 द्वारा नगर परिषद बालोतरा में गठित की गई समितियों में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 55(1) एवं (3) में वर्णित विधिक प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से नगर परिषद बालोतरा में गठित समितियों को राज्य सरकार द्वारा निरस्त किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(दीपक नन्दी)


निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

दिनांक: 31/7/20

क्रमांक: प.8(ड)(02)रा.ग./डीएलबी/20/2 0071 - 15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, जिला कलक्टर, बाडमेर राजस्थान।
05. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर।
06. सम्भापति, नगर परिषद बालोतरा।
07. आयुक्त, नगर परिषद, बालोतरा।
08. नाडल अधिकारी, वेबसाईट, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
09. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी